संख्या-64/2023/1779/77-3-23-208एम/18

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 11 अक्टूबर, 2023

विषय-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज-01 एवं पैकेज-02 के निर्माणकर्ताओं को शिड्यूल-एच में दिनांक 31.03.2023 तक दी गयी राहत को दिनांक 31.03.2024 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3290/यूपीडा/19/1799-III/2023 दिनांक 17.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या COVID-19/RoadMap/JS(H)/ 2020(183777), दिनांक 04.05.2023 द्वारा सड़क परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को राहत प्रदान किये जाने हेतु Schedule-H/G में प्रदान की गयी शिथिलिता के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 642/77-3-23-208एम/18 दिनांक 10.04.2023 द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-01 एवं 02 के निर्माणकर्ताओं को शिड्यूल-एच में दिनांक 31.03.2023 तक प्रदान की गई राहत को दिनांक 31.03.2024 तक के लिए बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. **Schedule-H** के संबंध में निष्पादित किये जाने वाले अनुपूरक अनुबन्ध दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिये ही मान्य होंगे, उक्त अवधि के उपरान्त मूल अनुबन्ध में **Schedule-H** के प्रावधान स्वतः लागू हो जायेंगे।

4. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय का अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0।
(2)निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0।
(3)मुख्य अभियन्ता, यूपीडा, गोमती नगर लखनऊ।
(4)वित्त नियंत्रक, यूपीडा, गोमती नगर लखनऊ।
(5)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।